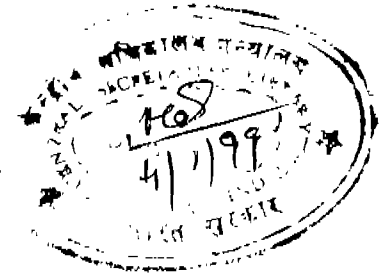


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 306]
No. 306]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1998/श्रावण 23, 1920
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1998/SRAVANA 23, 1920

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1998

सा.का. नि. 499 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे विनिर्दिष्ट औषधियों के उपयोग से मानव जीवन के जोखिम में पड़ने की संभावना है और उक्त औषधियों के विनिर्माण, विक्रय तथा वितरण का लोकहित में प्रतिबिम्ब करना आवश्यक और समीचीन है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि.578 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में क्रम संख्यांक 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों अन्तर्स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“57. मेपाक्राइन हाईड्रोक्लोराइड (क्विनाक्राइन और उसके लवण) महिलाओं के बांध्यीकरण या गर्भनिरोध में उपयोग के लिए किसी खुराक के रूप में।”

58. फैन फ्लूरेमिन और डैक्सफैनफ्लूरेमिड।

[फा.एक्स-11014/2/98-डी.एम.एस.एण्ड पी.एफ.ए.]

रेणु साहनी धर, उप-सचिव

पाद टिप्पणी:—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 578(अ) तारीख 23-7-83 द्वारा प्रकाशित किए गए। उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. सा.का.नि.सं. 49 (अ) तारीख 31-1-1984
2. सा.का.नि.सं. 322 (अ) तारीख 3-5-1984
3. सा.का.नि.सं. 863 (अ) तारीख 22-11-1985

4. सा.का.नि.सं. 700 (अ) तारीख 15-6-1988
5. सा.का.नि.सं. 1057 (अ) तारीख 03-11-1988
6. सा.का.नि.सं. 743 (अ) तारीख 10-8-1989
7. सा.का.नि.सं. 999 (अ) तारीख 26-12-1990
8. सा.का.नि.सं. 69 (अ) तारीख 11-2-1991
9. सा.का.नि.सं. 304 (अ) तारीख 7-6-1991
10. सा.का.नि.सं. 444 (अ) तारीख 30-4-1992
11. सा.का.नि.सं. 111 (अ) तारीख 22-2-1994
12. सा.का.नि.सं. 612 (अ) तारीख 9-8-1994
13. सा.का.नि.सं. 731 (अ) तारीख 30-9-1994 (शुद्धिपत्र)
14. सा.का.नि.सं. 848 (अ) तारीख 7-12-1994
15. सा.का.नि.सं. 57 (अ) तारीख 7-2-1995
16. सा.का.नि.सं. 633 (अ) तारीख 13-9-1995
17. सा.का.नि.सं. 776 (अ) तारीख 5-12-1995 (शुद्धिपत्र)
18. सा.का.नि.सं. 793 (अ) तारीख 13-12-1995
19. सा.का.नि.सं. 123 (अ) तारीख 11-3-1996 (शुद्धिपत्र)
20. सा.का.नि.सं. 230 (अ) तारीख 4-6-1996 (शुद्धिपत्र)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1998

G.S.R. 499(E).—Whereas the Central Government is satisfied that use of the drugs specified below are likely to involve risk to human beings and that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of the said drugs in the public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and family welfare No. G.S.R. 578 (E), dated the 23rd July, 1983, namely:—

In the Table below to the said notification, after serial number 56 and the entry relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:—

“57. Mepacrine Hydrochloride (Quinacrine and its salts) in any dosage form for use for female sterilization or contraception.

58. Fenfluramine and Dexfenfluramine.”

[F X-11014/2/98-DHWS & PFA]

RENU SAHNI DHAR, Dy. Secy

Foot Note.—The Principal notification was published in the Gazette of India vide GSR No. 578 (E), dated 23-7-1983 and subsequently amended by :—

1. GSR No. 49 (E) dated 31-1-1984.
2. GSR No. 322 (E) dated 3-5-1984.
3. GSR No. 863 (E) dated 22-11-1985.
4. GSR No. 700 (E) dated 15-6-1988.
5. GSR No. 1057 (E) dated 3-11-1988.
6. GSP No. 743 (E) dated 10-8-1989.
7. GSR No. 999 (E) dated 26-12-1990.
8. GSR No. 69 (E) dated 11-2-1991.
9. GSR No. 304 (E) dated 7-6-1991.
10. GSR No. 444 (E) dated 30-4-1992.
11. GSR No. 111 (E) dated 22-2-1994.
12. GSR No. 612 (E) dated 7-8-1994. (Corrigendum)
13. GSR No. 731 (E) dated 30-9-1994.
14. GSR No. 848 (E) dated 7-12-1994.
15. GSR No. 57 (E) dated 7-2-1995.
16. GSR No. 633 (E) dated 13-9-1995.
17. GSR No. 776 (E) dated 5-12-1995.(Corrigendum)
18. GSR No. 793 (E) dated 13-12-1995.
19. GSR No. 123 (E) dated 11-3-1996.(Corrigendum)
20. GSR No. 230 (E) dated 4-6-1996 (Corrigendum)

